



सत्यमेव जयते

छावनी परिषद आगरा



रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार



कार्यालय : 114, Fatehpur Sikri Road, Agra Cantt.-282001 (Tele: 0562-2227379, 2227275 & Fax : 2227380)

ईमेल : ceoagra@yahoo.com & वेबसाइट : www.cbagra.org.in

पत्र संख्या : 53/Misc./Covid-19/CBA/2020/712

दिनांक : 19 मार्च, 2020

परिपत्र

विषय : कोरोना वायरस के लिये कार्य स्थल पर कार्य करने की सलाह।

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19)

सही जानकारी ही संक्रमण से सबसे बड़ा बचाव है।

जागरूकता फैलाये अफवाह नही।

कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपाय क्या करें और क्या न करें।

क्या करें	क्या न करें
<ul style="list-style-type: none"> समाजिक दूरी (Social Distance) अर्थात एक-दूसरे से दूरी, कम से कम 1 मीटर की बना कर रखें। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। 	<ul style="list-style-type: none"> समूहिक सभा से बचे।
<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य जागरूकता होने एवं बचाव के उपाय से जान को कोई खतरा नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> यदि आपको खांसी या बुखार हो तो किसी के सम्पर्क में न आये/यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी या फ्लू जैसे लक्षण हो तो उससे सम्पर्क न बनायें।
<ul style="list-style-type: none"> छींकने और खांसने के दौरान अपने मुँह पर कपड़ा/रुमाल रखें। 	<ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें।
<ul style="list-style-type: none"> जब आपके हाथ गंदे दिखें, तब अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से धोएं। 	<ul style="list-style-type: none"> जीवित पशुओं के सम्पर्क या कच्चे/अधपके मांस, सीफूड अथवा अण्डों के सेवन से बचें।
<ul style="list-style-type: none"> जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हो तब भी अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंडवॉश या साबुन और पानी से साफ करें या सेनेटाइजर का प्रयोग करें। 	<ul style="list-style-type: none"> खेतों में न घूमें, जीवित पशुओं के बाजारों में या जानवरों के वध किये जाने वाले स्थल पर ना जाएं।
<ul style="list-style-type: none"> प्रयोग के तुरन्त बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें। 	<ul style="list-style-type: none"> भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र एवं समागम में जाने से बचें, अपने किसी संबंधी से जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो, उससे हाथ न गिलाएं।
<ul style="list-style-type: none"> अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त डॉक्टर से परामर्श करें। 	<ul style="list-style-type: none"> बीमारी का बचाव/इलाज संभव है। भ्रम से दूर रहें और समाज में भ्रम/डर न फैलायें।
<ul style="list-style-type: none"> फ्लू जैसे लक्षण होने पर ही मास्क लगायें अनावश्यक रूप से नहीं। 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सक की सलाह के बिना दवा का सेवन न करें।
<ul style="list-style-type: none"> अस्पतालों में गैरजरूरी ओ.पी.डी. और जॉच सेवाओं पर रोक लगाई गई है। सिर्फ इमरजेंसी लागू है। 	<ul style="list-style-type: none"> फिलहाल पर्यटक/पर्यटन स्थल से दूर रहें।
	<ul style="list-style-type: none"> ओ.पी.डी. में ज्यादा जरूरत होने पर ही जाएं। अधिक जानकारी के लिए डाक्टर से टेलीफोन द्वारा सम्पर्क करें।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद आगरा
(ज्योति कपूर आई.डी.ई.एस.)